उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-03/2021/38/94-स्टा०नि०-2-2021-700(25)/2020

लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 2021

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 10, 74 और 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ई- स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश ई- स्टाम्पिंग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- **(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ई- स्टाम्पिंग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।**

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन 2- **उत्तर प्रदेश ई- स्टाम्पिंग नियमावली, 2013, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-**

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान खण्ड	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(झ)- ई-स्टाम्प का तात्पर्य स्टाम्प शुल्क के संदाय का द्योतन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित चिन्ह से है;	**(झ)- ई-स्टाम्प का तात्पर्य स्टाम्प शुल्क के संदाय का द्योतन करने के लिए कागज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित चिन्ह से है और इसमें डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में डिजिटल ई-स्टाम्प सम्मिलित है।**

नियम 25 का संशोधन 3- **उक्त नियमावली में, नियम 25 के उप नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-**

"(4) जहाँ डिजिटल ई-स्टाम्प जारी किया जाना है, वहां, यह केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा आवेदक को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में एवं रीति से जारी एवं पारेषित किया जाएगा।"

आज्ञा से

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-03/2021/38/94-स्टा0नि0-2-2021-700(25)/2020 दिनांकः 12 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12.01.2021 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्याः-03/2021/38/94-स्टा0नि0-2-2021-700(25)/2020 दिनांकः 12 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।**
2. **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
3. **प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।**
4. **आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
6. **सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।**
7. **समस्त जिलाधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) उत्तर प्रदेश।**
8. **समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
9. **समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।**
10. **विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।**
11. **भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।**
12. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration, Anubhag-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution,The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.03/2021/38/94-sta.ni.-2-2021-700(25)/2020 dated 12 January, 2021 for general information:

NOTIFICATION

No. 03/2021/38/94-sta.ni.-2-2021-700(25)/2020

Lucknow, Dated 12 January, 2021

In exercise of the powers under sections 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1987 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending The Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013:

THE UTTAR PRADESH E-STAMPING (SECOND AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement 1- (1). These rules may be called the Uttar Pradesh E-Stamping (Second Amendment) Rules,2021.

(2). They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2 2- In the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013, herein after referred to as the said rules, for clause (i) of sub-rule (1) of rule 2 as set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely,

Column-I	**Column-II**
Existing clause	**Clause as hereby substituted**
(i)- E stamp means an electronically generated impression on paper to denote the payment of stamp duty;	(i)- "E-Stamp" means an electronically generated impression on paper to denote the payment of stamp duty and includes digital E-Stamp in a dematerialised format.

Amendment of rule 25 **3-** In the said rules, after sub-rule (3) of rule 25 the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(4)- Where digital E-Stamp is to be issued it shall be issued and transmitted to the applicant by Central Record Keeping Agency (CRA) in the format and manner prescribed by the Appointing Authority."

By order

Veena Kumari
Pramukh sachiv

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**